वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 19.05.2025

दो अवैध निर्माण वीडीए ने कराए सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से रविवार को दो अवैध निर्माण सील कराए गए। मुगलसराय वार्ड के सुभाष नगर में केडी मिश्रा और बेचूपुर में सतनाम सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। पूर्व में इन्हें नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके काम जारी रखने पर वीडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को सील करके थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 19.05.2025

अनाधिकृत निर्माण पर सील किया मकान

वाराणसी। वीडीए ने मुगलसराय में रविवार को अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया। इसके साथ ही मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया। मुगलसराय के सुभाष नगर में केडी मिश्रा और मौजा बेचूपुर में सतनाम सिंह द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था। वीडीए की टीम ने इसे सील कर दिया है।

न्यायाधीश–दि0 19.05.2025

वाविप्रा जोन-5 वार्ड-मुगलसराय की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाराणसी प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 वार्ड-मुगलसराय के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत के0डी मिश्राव मौजा सुभाषनगर व सतनाम सिंह द्वारा मौजा बेचुपुर वार्ड मुगलसराय जिला चंदौली में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई थी, किन्तु पक्ष द्वारा लगातार रात्रि के दिनों में किये जा रहे उक्त अनधिकृत निर्माण को आज दिनांक 17/05/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 19.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की परवर्तन टीम की कार्यवाही

विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन–5 वार्ड–मुगलसराय के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड–मुगलसराय के अंतर्गत के0डी मिश्राव मौजा सुभाषनगर व सतनाम सिंह द्वारा मौजा बेचुपुर वार्ड मुगलसराय जिला चंदौली में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई थी, किन्तु पक्ष द्वारा लगातार रात्रि के दिनों में किये जा रहे उक्त अनधिकृत निर्माण को आज दिनांक 17/05/2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । (उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।